Permission to non-banking Financial Institutions to tap foreign capital market

7747. SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI J. S. RAJU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on allowing non-banking financial institutions to tap foreign capital market;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the assessment made so far on the performance of forcing institutional in vestor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) As per the Euro issue guidelines announced on 28.10.1994 a relaxation of the approved enduse criteria in regard to deployment of Euro-issue proceeds was allowed to enable select All India Financial Institutions to access the international Capital markets. Such relaxation is not permitted for other non-banking financial institutions,

(c) The number of registered Foreign Institutional Investors (FIIs) operating in the indian Capital market and cumulative net investments made by them have been consistently showing a rising trend since the commencement of the Portfolio Scheme for FIIs in Sept. 1992. As per the reports filed with the Securities and Exchange Board of India by the Custodians to the FIIs, as on 30-4-1995 the cumulative net investments by FIIs in the Indian Capital Markets stood at US $ 3266.6 million.

करों की वसूली हेतु नयी योजनाओं का शुरू किया जाना

7748. श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में करों की बेहतर वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए एक नयी योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उपर्युक्त योजना को लागू करने के बाद इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. जन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) वित्त विधेयक, 1995 में व्यावसायिक प्राप्तियों के मामले में स्रोत पर कर की कटौती को लागू करने का प्रस्ताव है । उक्त कटौती व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में 5% की दर से की जाएगी, जहां पर सकल प्राप्तियां 20,000/–रू. से अधिक हों ।

इसी प्रकार, बैंकों में सावधि जमा अथवा पारस्परिक निधियों अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त आय में से स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रस्ताव किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, संविदागत प्राप्तियों में से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंधों को विज्ञापन, प्रसारण, टेलीकास्टिंग' परिवहन से संबंधित संविदाओं और खान-पान सेवा से संबंधित संविदाओं पर लागू किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । उक्त योजना 1 जुलाई, 1995 से लागू होगी ।